प्रेषक,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: एस0–कैम्प– 63 / फ0ऋ0मो0–यो / 2017–18 / लखनऊ दिनांक: 14 अगस्त, 2017

विषय: प्रदेश सरकार की लघु एवं सीमान्त किसानों के उन्नयन एवं सतत विकास हेतु फसल ऋण मोचन योजना के सम्बन्ध में योजना से सम्बन्धित शिकायतों का निवारण एवं अनुश्रवण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त योजना से सम्बधित शासनादेश संख्या–540बी. / क0 नि0–6–2017–01 (बी) / 2017, दिनांक–24 जून, 2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें योजना का स्वरूप, किसानों की पात्रता, कियान्वयन की रूप–रेखा, हितधारकों को रूप में कृषि विभाग, संस्थागत वित्त विभाग, राजस्व विभाग, एन0आई0सी0, ऋण प्रदाता संस्थाओं आदि की भूमिका एवं दायित्व के साथ–ही–साथ शिकायत निवारण प्रणाली के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देश का समावेश किया गया है। योजना से सम्बन्धित शिकायत निवारण एवं अनुश्रवण हेतु कार्ययोजना के पृष्ठ–16 के बिन्दु–नौ में यह उल्लिखित है कि:–

''शिकायत निवारण एवं अनुश्रवण हेतु एन0आई0सी0 द्वारा एक पोर्टल विकसित किया जायेगा और जिला स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जायेगा। नियंत्रण कक्ष में सभी शिकायतों को शिकायत निवारण पोर्टल पर डाला जायेगा। शिकायत निवारण हेतु समिति जिला स्तर पर एक दूरभाष संख्या की व्यवस्था करेगी। जिलाधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह दिशा–निर्देशों के अनुसार योजना का अनुश्रवण करेंगे तथा संस्थागत वित्त, महानिदेशालय स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष को रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। नियंत्रण कक्ष समय–समय पर रिपोर्ट सृजित कर अपर मुख्य सचिव, संस्थागत वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा सशक्त समिति (एम्पावर्ड कमेटी) के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।''

इसी कम में शासनादेश संख्या–565बी / स.वि.क.नि.–6 / 2017, दिनांक 30 जून, 2017 के **प्रस्तर–2 (ग) – जिला स्तर पर शिकायत निवारण एवं अनुश्रवण** के अन्तर्गत जिला स्तर पर प्राप्त होने वाले शिकायतों के निवारण एवं अनुश्रवण का कार्य जिला स्तरीय समिति द्वारा निम्नवत् निर्धारित किया गया है :–

(i) जिला स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जायेगा।

(ii) शिकायत निवारण हेतु जिले स्तर पर एक दूरभाष संख्या की भी व्यवस्था की जायेगी, जिसका व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा।

(iii) नियंत्रण कक्ष में प्राप्त सभी शिकायतों को एन0आई0सी0 द्वारा फसल ऋण मोचन हेतु विकसित पोर्टल में शिकायत निवारण हेतु बने लिंक पर सम्बन्धित द्वारा दर्ज किया जायेगा। शिकायत दर्ज होने के उपरान्त 'योजना' में विहित प्रकिया के अनुरूप जिला स्तरीय समिति द्वारा जांचोपरान्त अर्ह पायी गयी किसानों की सूची पर योजना में विहित दिशा–निर्देशों के अनुसार आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

(iv) ऑफलाइन शिकायत का पंजीकरण जिलाधिकारी के नियंत्रण कक्ष में 'योजना' में दिये गये प्रारूप पर किया जा सकेगा, जिसको उक्त पोर्टल पर जिलाधिकारी द्वारा ऑनलाइन कराया जायेगा।

(v) जिला स्तर पर प्राप्त शिकायतों एवं निस्तारित शिकायतों की श्रेणीवार, ग्रामवार, तहसीलवार रिपोर्ट तैयार की जायेगी साथ ही कुल शिकायतों के सापेक्ष अर्ह किसानों की संख्या भी प्रदर्शित की जायेगी।

योजना से सम्बन्धित जिला स्तर पर शिकायत वाले प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में जिला स्तरीय समिति उत्तरदायी होगी।

योजना से सम्बन्धित शिकायत को पोर्टल पर किसान आनलाइन या आफलाइन दर्ज कर सकता है, जिसमें किसान को अपनी शिकायत की श्रेणी का चयन करना होगा, जो बिन्दुवार निम्नवत है–

(i) मेरे ऋण का मोचन नहीं किया गया है, यद्यपि मेरा नाम सूची में है।
(ii) मेरे ऋण का मोचन नही किया गया है, मेरा नाम सूची में नहीं है।
(iii) मेरा नाम सूची में है, परन्तु मैने मोचन प्रमाण–पत्र नहीं प्राप्त किया है।
(iv) मेरा नाम सूचना पत्र की सूची में है, परन्तु मुझे सूचना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।
(v) मुझे ऋण मोचन प्रमाण–पत्र प्राप्त हुआ है, परन्तु मेरा ऋण मोचित नहीं हुआ है।
(vi) मेरे ऋण का मोचन हो गया है, परन्तु मुझे ऋण मोचन प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।
(vii) मुझे आधार के लिए अपना पंजीकरण कराना है, मै ऋण मोचन के लिए अर्ह हूँ और मेरा नाम सूची में है।
(viii) मैं आधार के लिए अपना पंजीकरण नहीं कराऊंगा, मैं ऋण मोचन के लिए अर्ह हूँ, और मेरा नाम सूची में है।
(ix) बैंकों द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा है।
(x) मेरा नाम सूची में है, परन्तु बैंक ऋण मोचन प्रमाण–पत्र जारी नही कर रहा है।
(xi) मेरा आधार कार्ड खो गया है, मेरा नाम सूची में है।
(xii) कोई अन्य (कृपया विर्निदिष्ट करें)।

जिन शिकायतों का निराकरण जनपद स्तर पर जिला स्तरीय समिति द्वारा संपादित नहीं कराया जा सकेगा, उन्हें मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित मण्डल स्तरीय समिति (एम0एल0सी0) को संदर्भित किया जा सकेगा। मण्डल स्तरीय समिति शिकायतों के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लेने के लिए अंतिम रूप से अधिकृत की गयी है। शासनादेश दिनांक 30.06.2017 के प्रस्तर–3 (ख) में मण्डल स्तरीय समिति का उत्तरदायित्व निम्नवत निर्धारित किया गया है:–

(i) जिला स्तरीय समिति द्वारा चिन्हित अनर्ह किसानों की सूची पर प्रत्यावेदन दिये जाने पर निर्णय लेना।

(ii) योजना के प्रावधानों एवं शासनादेश की व्यवस्था के अनुसार जिला स्तरीय समिति द्वारा संदर्भित प्रकरणों पर निर्णय देना।

(iii) अपने–अपनी मण्डल में योजना के कार्यान्वयन एवं निष्पादन का पर्यवेक्षण करना।

(iv) नीतिगत मामलों को राज्य स्तर पर सशक्त समिति (एम्पावर्ड कमेटी) को सम्प्रेषित करना।

एन0आई0सी0 के द्वारा आनलाइन शिकायत निराकरण सुनिश्चित करने हेतु पोर्टल पर लिंक तैयार कर दिया गया है। जो किसान पोर्टल पर ऑन–लाइन शिकायत दर्ज नहीं कर सकेंगे उनके लिए निर्धारित प्रपत्र पर ऑफ–लाइन शिकायत उपलब्ध कराने की व्यवस्था आपके स्तर पर की जानी चाहिए। ऐसी आफलाइन प्राप्त सभी शिकायतों को कम्प्यूटर पर फीड कराना होगा, तथा हाथ से भरे गये ऑफ–लाइन शिकायत पत्र को क्रमवार गार्ड फाइल में सुरक्षित रखना होगा। कृपया तद्नुसार शिकायत निराकरण सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। ऑफ–लाइन शिकायत दर्ज करने हेतु निर्धारित प्रारूप पत्र के साथ संलग्न है। कृपया पर्याप्त संख्या में इसे छपवाते हुए तहसील तथा जनपद स्तर पर स्थापित कन्ट्रोल रूम में उपलब्ध करवाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय,

(ज्ञान सिंह)
कृषि निदेशक, उ0प्र0।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषितः–

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, संस्थागत वित्त, उत्तर प्रदेश को महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश को महोदय के संज्ञानार्थ।
3. मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
4. सचिव, संस्थागत वित्त, महोदय के संज्ञानार्थ।
5. महानिदेशक, संस्थागत वित्त, सर्वहित बीमा महानिदेशालय, 16 विधानसभा मार्ग, लखनऊ।
6. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
7. संयुक्त कृषि निदेशक, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश।

फसल ऋण मोचन योजना हेतु

कृषकों द्वारा ऑफलाइन शिकायत पंजीकरण का प्रारूप–पत्र

किसान का नाम	पिता / पति का नाम	लिंग	मोबाइल नम्बर	आधार संख्या		जनपद का नाम	तहसील का नाम	राजस्व ग्राम	पता	बैंक का नाम	राजस्व ग्राम से जुड़ी बैंक शाखा का नाम	के.सी.सी. नम्बर	ऋण खाता संख्या	पट्टाधारी	
				हाँ	नहीं									हाँ	नहीं
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**

सन्दर्भ श्रेणी –

आवेदन पत्र का विस्तृत विवरण –

पूर्व सन्दर्भ संख्या (यदि है तो)–

सन्दर्भ संख्या– 1	सन्दर्भ संख्या– 2

घोषणा :– मै प्रमाणित करता / करती हूँ कि शिकायत में दी जा रही सूचना मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर

फसल ऋण मोचन योजना हेतु

कृषकों द्वारा ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण का प्रारूप–पत्र

किसान का नाम	पिता / पति का नाम	लिंग	मोबाइल नम्बर	आधार संख्या		जनपद का नाम	तहसील का नाम	राजस्व ग्राम (ड्राप डाउन सूची)	पता	बैंक का नाम	राजस्व ग्राम से जुड़ी बैंक शाखा का नाम (ड्राप डाउन सूची)	के.सी.सी. नम्बर	ऋण खाता संख्या	पट्टाधारी	
				हाँ	नहीं									हाँ	नहीं
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

सन्दर्भ श्रेणी –

आवेदन पत्र का विस्तृत विवरण –

पूर्व सन्दर्भ संख्या (यदि है तो)– सन्दर्भ संख्या– 1 सन्दर्भ संख्या– 2

घोषणा :– मै प्रमाणित करता / करती हूँ कि शिकायत में दी जा रही सूचना मेरी जानकारी के अनुसार सही है।